<u>न्यायालय सहायक कलक्टर,भरतपुर</u>

पीठासीन अधिकारीः— संजय गोयल, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्याः—119/2012

रघुवीर सिंह पुत्र नत्थी सिंह, जाति जाट, निवासी ग्राम जघीना, तहसील व जिला भरतपुर। —वादी

बनाम

1. रनवीर सिंह
2. राजेन्द्र सिंह (पुत्रगण विपती)
3. चन्दन सिंह पुत्र हेतराम
4. फत्ते पुत्र रामकिशन
5. ईश्वर सिंह पुत्र शिवसिंह
6. रवीन्द्र सिंह पुत्र शिवसिंह

(जातिगण जाट, निवासी जघीना, तहसील व जिला भरतपुर)

7. पंजाब नेशनल बैंक, जघीना जरिये प्रबंधक

—प्रतिवादीगण

<u>दावा अन्तर्गत धारा 88—89—188 राज0 काश्तकारी अधिनियम,1955</u>

<u>निर्णय</u>

दिनांकः— 16—11—2018

वादी ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर दावा अर्न्तगत धारा 88—89—188 आर.टी.ए. विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम जघीना तहसील भरतपुर स्थित हाल आराजी खसरा नंबर 2073/0.43 का वादी रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार काबिज है।

हाल खसरा नंबर 2073/0.43 को बन्दोबस्त विभाग द्वारा साविक खसरा नम्बर 1841/3—5 बिस्वा से बनाया गया है। साविक खसरा नम्बर 1841/3—5 बिस्वा की तुलना में हाल रकवा 43 ऐयर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बन्दोबस्त विभाग द्वारा राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया है जो साविक की तुलना में 9 ऐयर रकवा कम अंकित किया गया है जबकि रकवा कम एवं बेशी करने का भू प्रबन्ध विभाग को कोई अधिकार नही है। जबकि वादी मौके पर साविक की तुलना में हाल रकवा 52 एयर जो होता है पर मौके पर काविज है लेकिन राजस्व रिकार्ड में कम अंकित कर दिया गया है।

हाल आराजी खसरा न0 2074 / 0.12, 2075 / 0.13 वाके ग्राम जघीना पटवार क्षेत्र जघीना प्रथम तहसील भरतपुर में स्थित है। जिसके खातेदारी की प्रविष्टिया प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम है। उपरोक्त खसरा नम्बरान को बन्दोबस्त विभाग द्वारा साविक खसरा नम्बर 1843 / 1 मिन रकवा 16 विस्वा से बनाया गया हैं जो साविक की तुलना में 13 एयर होना चाहिये था लेकिन बन्दोबस्त विभाग द्वारा हाल खसरा नम्बर 2074, 2075 बना कर 25 एयर रकवा दर्ज कर दिया गया है। जो 12 एयर वेशी है। साविक खसरा नम्बर 1843 रकवा 16 विस्वा का नया नम्बर 2075 मुताविक मौका एवं रिकार्ड है। खसरा नम्बर 2074 रकवा 12 एयर बन्दोबस्त विभाग द्वारा गलत रूप से 12 एयर अधिक दिखा दिया है और उसको खसरा नम्बर 2073 व 2075 के बीच में नया बना कर डोट डोट करके नक्शा में प्रदर्शित कर दिया हैं। खसरा नम्बर 2074 बिल्कुल 2073 के चिपटेमा है। उस 12 एयर रकवे को प्राप्त करने का अधिकारी है। मौके पर खसरा नम्बर 2073 व 2074 पर वादी काविज है। खसरा नम्बर 2074 खसरा नम्बर साविक 1841 का ही भाग है। खसरा नम्बर 2074 को साविक खसरा नम्बर 1841 से बन्दोबस्त विभाग द्वारा बनाया जाना चाहिये था जो न बना कर गलत कृत्य किया है जो साविक के अनुसार मौके पर सही है लेकिन राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राजात कर दिये है। उक्त गलत इन्द्राजात वादी के पीछे से एवं वहक वादी खिलाफ एवं वेअसर एवं शून्य है। जिन्हे वादी दुरूस्त करा पाने का अधिकारी है।

साविक खसरा नम्बर 1843 / 1 रकवा 16 विस्वा पूर्व में रामकिशन पुत्र वीदा कोम फोजदार साकिन जघीना खातेदार राजस्व रिकार्ड में अंकित था। रामकिशन के दो पुत्र शिवसिंह एवं फत्ते हुये। शिवसिंह का स्वर्गवास रामकिशन के जीवनकाल में ही हो गया। शिवसिंह के दो लडके ईश्वरसिंह व रविन्द्र सिंह हुए। रामकिशन के देहान्त के बाद आराजी खसरा नम्बर 1843 / 1 रकवा 16 विस्वा पर

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

इन्द्राज प्रतिवादीगण 4 लगायत 6 के हुए। इसलिये हाल खसरा नम्बर 2074 व 2075 पर इन्द्राज निष्फ हिस्से पर फत्ते पुत्र रामकिशन एवं निष्फ हिस्से पर ईश्वर सिंह व रविन्द्र सिंह बहिस्सा बराबर हुए।

हाल खसरा नंबर 2074, 2075 वाके ग्राम जधीना पर इन्द्राज फत्ते निष्फ एवं ईश्वर सिंह व रविन्द्र सिंह निष्फ बहिस्सा बराबर रामकिशन के मरने के बाद हुए। आराजी खसरा नंबर 2074, 2075 के निष्फ हिस्से को फत्ते पुत्र रामकिशन द्वारा जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.06.1995 को रनवीर सिंह, राजेन्द्र सिंह पिसरान विपती प्रतिवादी संख्या 1,2 एवं उक्त खसरा नंबर के 1/4 हिस्सा को ईश्वर सिंह द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.10.1994 चन्दन सिंह पुत्र हेतराम प्रतिवादी संख्या 3 को एवं रविन्द्र सिंह द्वारा अपना 1/4 हिस्सा उक्त नम्बरान का जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.06.1995 प्रतिवादी संख्या 2 के हक में करा दिया। चूँकि साविक खसरा नंबर 1843/1 मिन रकबा 0.16 बिस्वा का नया नंबर 2075 रकबा 0.13 एयर ही साबिक के मुताबिक बनता है और साबिक के मुताबिक ही मौके पर मौजूद है। खसरा नंबर 2074 जो पुराने खसरा नंबर 1841 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा से बनना चाहिए था, लेकिन बन्दोबस्त विभाग द्वारा हाल खसरा नंबर 2074 को हाल खसरा नंबर 1843/1 मिन से बनाकर खिलाफ कानून एवं खिलाफ रिकॉर्ड एवं मौका के बना दिया जो वहक वादी बेअसर व शून्य है व उक्त खसरा नंबर 2074 को भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा खसरा नंबर 1843/1 मिन से गलत दिखा दिया गया और उक्त गलत इन्द्राजातों के आधार पर उक्त खसरा नंबर 2074 के विक्रय पत्र जो फत्ते पुत्र रामकिशन, ईश्वर सिंह व रविन्द्र सिंह पुत्र शिवसिंह द्वारा जो विक्रय पत्र दिनांक 09.06.1995, 17.10.1994 वहक प्रतिवादी संख्या 1,2,3 कराये गये हैं और इस आधार पर प्रतिवादी सं. 1,2 व 3 के नाम हो रहे इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में हैं उनको नल एंड वॉइड वादी घोषित करा पाने का अधिकारी है, क्योंकि खसरा नंबर 2074 पर किसी प्रकार का हक व हकूक न तो रामकिशन का था और न रामकिशन के वारिसान का है और न क्रेतागण का बिना किसी आधार के भू–प्रबंध विभाग द्वारा गलत इन्द्राजातों के आधार पर विक्रय करने का अधिकार हासिल नहीं है।

हाल खसरा नंबर 2075 रकबा 0.13 हैक्टे0 पर प्रतिवादी सं. 1,2,3 काबिज हैं। आराजी खसरा नंबर 2073 वादी की खातेदारी एवं कब्जे में है। आराजी खसरा नंबर 2074 बन्दोबस्त विभाग द्वारा गलत इन्द्राज के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड के इन्द्राज प्रतिवादी संख्या 1,2,3 के नाम है, जो वहक वादी शून्य है। क्योंकि खसरा नंबर 2074 साबिक खसरा नंबर 1841 का ही भाग है। अर्थात खसरा नंबर 2073 व 2074 दोनों ही नंबर मौके पर एक हैं बीच में कोई डौल–मेंड़ नहीं है व नक्शे में भी खसरा नंबर 2073 व 2074 के मध्य डॉट–डॉट दिखाया गया है जो गलत दिखाया गया है व दोनों नंबर पर वादी शुरूआत से ता हाल काबिज है एवं आराजी खसरा नंबर 2074 पर वादी बहैसियत खातेदार कृषक काबिज है। प्रतिवादीगण किसी का भी आराजी खसरा नंबर 2074 पर न कभी कब्जा रहा और न है और न ही कोई हक व हकूक प्राप्त होते हैं। वादी आराजी खसरा नंबर 2074 को अपने नाम खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करा पाने का अधिकारी है।

हाल आराजी खसरा नंबर 2073, 2074 मौके पर एक ही नंबर है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में व नक्शे में अलग–अलग दिखा दिये हैं। चूँकि वादी का रकबा मौके पर पूरा है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में बिना अधिकार भू–प्रबंध विभाग द्वारा प्रतिवादी सं. 4,5,6 के नाम इन्द्राज कर दिये और गलत इन्द्राजातों के आधार पर प्रतिवादी सं0 4,5,6 द्वारा विक्रय प्रतिवादी सं0 1,2,3 को कर दिया। जिसकी जानकारी वादी को किसी प्रकार से नहीं थी। वादी को प्रतिवादी सं0 4,5,6 द्वारा दिनांक 20.06.2001 को ग्राम जघीना में यह धमकी दी है कि हाल खसरा नंबर 2074 रकबा 0.12 हैक्टेयर का रकबा हमारे नाम है व खातेदारी में है। हम वादी को आराजी कब्जे से बेदखल कर देंगे। इस पर वादी ने पटवारी हलका से जानकारी की तो उक्त तथ्य का पता चला। वादी ने प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि बंदोबस्त की गलती से खसरा नंबर 2074 पर तुम्हारे नाम हो गया है तो उन्होंने इसके लिए दिनांक 15.07.2002 को साफ इंकार कर दिया।

वादी को प्रतिवादी संख्या 4,5,6 द्वारा दिनांक 20.06.2001 को एवं 15.07.2002 को विवादित आराजी से बेदखल करने की धमकी दी है जबकि प्रतिवादीगण का उक्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार नहीं है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इस प्रकार वादी ने दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि हाल आराजी खसरा नंबर 2074 रकबा 0.12 हैक्टे0 स्थित ग्राम जघीना तहसील भरतपुर पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे और राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में हो रहे इन्द्राजात को कलमजन किया जावे। आराजी खसरा नंबर 2074/0.12 को बन्दोबस्त विभाग द्वारा साविक खसरा नंबर 1843/1 मिन से गलत बना कर प्रतिवादी संख्या 1,2,3 के नाम दर्ज कर दिया है उसे साविक खसरा नंबर 1841 से बनाया जावे। साथ ही प्रतिवादी संख्या 1,2,3 द्वारा प्रतिवादी संख्या 4,5,6 के हक में विक्रय पत्र 17.10.1994 एवं 09.06.1995 पंजीबद्ध कराये गए हैं, को वहक वादी बेअसर एवं शून्य घोषित किया जावे और विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में जो इन्द्राजात प्रतिवादी संख्या 4,5,6 के नाम हो रहे हैं, उन्हें शून्य घोषित किया जावे। आराजी खसरा नंबर 2074 को साबिक खसरा नंबर 1841 से बनाया जावे। भूप्रबन्ध विभाग द्वारा खसरा नंबर 2074 को साबिक खसरा नंबर 1841/1 मिन से बनाया है उसे शून्य घोषित किया जावे। वादी ने अपने दावा के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत् 2056–2059, 2026–2033 एवं नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल विक्रय पत्र दिनांक 06.09.1995, 17.10.1994, नकल नक्शा, नकल दाखिल खारिज संख्या 179, 171 व 178 पेश की है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण जरिये उपस्थित आये। प्रतिवादी सं0 1 लगायत 6 ने दिनांक 20.07.2004 को एवं प्रतिवादी सं0 7 के द्वारा दिनांक 29.03.2003 को अपना जवाब दावा प्रस्तुत किया, जो संलग्न पत्रावली है। प्रतिवादीगण ने दावा में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए दावा वादी खारिज किए जाने का निवेदन किया है।

प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 के द्वारा अपने जवाब दावा में कथन किया है कि आराजी साविक खसरा नं0 1841 से हाल खसरा नं0 2073 बनना स्वीकार है। चूँकि वादी का साविक रकबे पर कब्जा नहीं रहा है, इसलिए बंदोबस्त विभाग ने हाल नंबर का रकबा मौके के मुताबिक सही दिया है। इसके अतिरिक्त वादी व उसके परिवारजनों के इस आराजी मुतनाजा के चारों तरफ आराजी रही है जिसमें वादी का रकबा चला गया है। वादी प्रतिवादीगण के हाल खसरा नंबर 2074 व 2075 में से कोई रकबा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि पहले तो वादी का कब्जा पूर्व से ही 0.43

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

हैक्टेयर के बराबर रहा है। मौके पर वादी के कब्जे काश्त का 0.52 हैक्टेयर रकबा नहीं है इसके अतिरिक्त साविक खसरा नंबर 1825 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा जो वादी एवं उसके भाइयों का है, का नया नंबर 2057 रकबा 0.43 हैक्टेयर बनाया है जो साविक रकबा से 0.11 हैक्टेयर अधिक है। वादी के साविक खसरा नंबर 1841 व 1825 चिपटमा हैं। इस प्रकार यदि वादी का कोई रकबा कम हुआ है तो वह रकबा वादी व उसके भाइयों के साविक खसरा नंबर 1825 में दर्शाया गया है। इसलिए वादी प्रतिवादीगण की खातेदारी के आराजी खसरा नंबर 2074 व 2075 में से कोई रकबा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

वादी का विवादित साविक खसरा नंबर 1841 है तथा प्रतिवादीगण का साविक नंबर 1843 के बीच में साविक नंबर 1841/1 व 1843 है इसलिए ऐसी सूरत में वादी के साविक खसरा नंबर 1841 का कोई रकबा प्रतिवादीगण के साविक खसरा नंबर 1841/1 में सम्मिलित होना संभव नहीं है।

हाल आराजी खसरा नंबर 2074 व 2075 का विक्रय प्रतिवादीगण के हक में होना स्वीकार है। हाल खसरा नंबर 2074 पर आज भी प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त है। वादी का इस नंबर से न तो किसी प्रकार का संबंध रहा है और न कब्जा रहा है। वादी का हाल खसरा नंबर 2073 पर ही कब्जा है न कि खसरा नंबर 2074 पर। वादी का यह कहना गलत है कि हाल खसरा नंबर में खसरा नंबर 2073 व 2074 के बीच डॉट–डॉट का निशान दिखाया गया हो, बल्कि ये दोनों खसरा नंबर अलग–अलग दर्शा रखे हैं। जब वादी का हाल खसरा नंबर 2074 से किसी प्रकार का कोई संबंध व कब्जा ही नहीं रहा है बल्कि प्रतिवादीगण इस नंबर पर बहैसियत खातेदार काबिज होकर काश्त कर रहे हैं जिसे प्रतिवादीगण ने जरिये पंजीकृत वयनामा क्रय किया है। प्रतिवादीगण हाल खसरा नंबर 2074 के सद्‌भावी क्रेता हैं इसलिए वादी खसरा नंबर 2074 का इन्द्राज अपने नाम करा पाने का अधिकारी नहीं है। जब वादी का विवादित हाल खसरा नंबर 2074 पर कोई कब्जा काश्त एवं हित नहीं है, तो प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 15.07.2002 को धमकी देने का प्रश्न ही नहीं उठता आराजी मुतनाजा को प्रतिवादीगण द्वारा प्रतिवादी सं0 7 के हक में रहन रखा जाना स्वीकार है क्योंकि प्रार्थीगण आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार हैं।

अंत में प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावा के विशेष कथन में निवेदन किया है कि हाल खसरा नंबर 2074 पर वादी का कब्जा काश्त कभी नहीं रहा और न ही वक्त दावा दायरी कब्जा वादी का था, इसलिए दावा वादीगण चलने योग्य नहीं है। वादी विवादित आराजी को प्रतिवादीगण द्वारा रखी गई रहन को तथा प्रतिवादी सं0 4 लगायत 6 द्वारा विक्रय पत्र तारीखी 17.10.1994 व 09.06.1995 को शून्य घोषित कराना चाहता है जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से परे है। इसलिए दावा वादी चलने योग्य नहीं होने से काबिल खारिज है।

इस प्रकार दावा और जवाब दावा के आधार पर प्रकरण में निम्नांकित तनकीयात कायम की गईं–

तनकी नं. 1 – ''आया हाल आराजी खसरा नंबर 2073/0.43 जो बंदोबस्त विभाग द्वारा साविक खसरा नंबर 1841/3–5 बनाया गया है जो साविक की तुलना में 9 एयर रकबा कम अंकित किया गया है। मौके पर पूर्ण काबिज है। वादी दुरुस्त करा पाने का मुस्तहक है।''

तनकी नं. 2 – ''आया मुताबिक मद नंबर 3 दावा हाल आराजी खसरा नंबर 2074/0.12 पर वादी स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने का अधिकारी है।''

तनकी नं. 3 –''आया मुताबिक मद नंबर 5 दावा विक्रय पत्र तारीख 17.10.1994 एवं 09.06.1995 उप–पंजीयक भरतपुर वहक वादी शून्य घोषित किये जाने योग्य है।''

तनकी नं. 4 –''आया प्रतिवादीगण द्वारा वादी को दिनांक 20.06. 2001 एवं 15.07.2002 को धमकी दी है और इसका क्या आशय है।''

तनकी नं. 5 –''मुताबिक मद नंबर 13 जवाब दावा, दावा चलने योग्य नहीं है।''

तनकी नं. 6 –''आया मुताबिक मद नंबर 14 जवाब दावा, दावा चलने योग्य नहीं है।''

तनकी नं. 7 –''आया मुताबिक मद नंबर 15 जवाब दावा, दावा चलने योग्य नहीं है।''

8 – अन्य दादरसी

प्रकरण में उपरोक्तानुसार तनकी कायम की जाकर पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की गई। दिनांक 12.08.2005 को साक्ष्य वादी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

में गवाह रघुवीर सिंह का शपथ–पत्र PW-1 पेश हुआ, जिस पर दिनांक 31.08.2006 को जिरह पूर्ण की गई। तत्पश्चात साक्ष्य वादी में गवाह पदम PW-2 एवं गवाह पूरनसिंह PW-3 के शपथ–पत्र और पेश किये गये, जिन पर दिनांक 25.05.2007 को जिरह होने पर साक्ष्य वादी पूर्ण की गई। तदोपरांत पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी में नियत की गई।

साक्ष्य प्रतिवादी में दिनांक 18.11.2011 को गवाह रणवीर का शपथपत्र DW-1 एवं दिनांक 10.12.2013 गवाह फत्ते का शपथ–पत्र DW-2 पेश हुआ किंतु बार– बार अवसर दिये जाने के उपरांत भी जिरह हेतु गवाह उपस्थित न होने के कारण इनसे जिरह नहीं हो सकी एवं अन्य कोई साक्ष्य न आने पर दिनांक 30.08.2016 को साक्ष्य प्रतिवादी बंद की जाकर पत्रावली बहस में नियत की गई।

पत्रावली पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। जिसके आधार पर तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है–

<u>**तनकी नं. 1 –**</u> ''आया हाल आराजी खसरा नंबर 2073/0.43 जो बंदोबस्त विभाग द्वारा साविक खसरा नंबर 1841/3–5 बनाया गया है जो साविक की तुलना में 9 एयर रकबा कम अंकित किया गया है। मौके पर पूर्ण काबिज है। वादी दुरुस्त करा पाने का मुस्तहक है।'' <u>**व तनकी नं. 2 –**</u> ''आया मुताबिक मद नंबर 3 दावा हाल आराजी खसरा नंबर 2074/0.12 पर वादी स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने का अधिकारी है।''

तथ्यों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए व दोनों तनकीयात में एकरूपता होने से दोनों तनकीयों का निर्णय एकसाथ ही किया जा रहा है।

इन तनकीयों को सिद्ध करने का दायित्व वादी का है। वादी ने अपने दावा व शपथ–पत्र के समर्थन में कुल 9 दस्तावेजों को प्रदर्शित कराया है। उपरोक्त दस्तावेजों से जाहिर है कि साविक खसरा नंबर 1841 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा जो कि वादी रघुवीर सिंह के नाम दर्ज था जिसका हाल नंबर 2073/0.43 बंदोबस्त विभाग ने निर्मित किया है। जिसका खातेदार रामकिशन को दर्ज कर दिया। उक्त तथ्य बंदोबस्त पूर्व की जमाबंदी, मिलान क्षेत्रफल व बंदोबस्त

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

के बाद की जमाबंदी से स्पष्ट प्रमाणित है। इस प्रकार ही प्रदर्श 3बी(मिलान क्षेत्रफल खसरा नंबर 2073) से यह स्पष्ट होता है कि साविक खसरा नंबर 1841 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा से बंदोबस्त विभाग ने हाल खसरा नंबर 2073 रकबा 43 एयर बनाया है, जो कि साविक के मुकाबले 9 एयर कम बनाया है। दूसरी ओर प्रदर्श 3ए (मिलान क्षेत्रफल खसरा नंबर 2074 व 2075) से यह स्पष्ट होता है कि साविक खसरा नंबर 1843/1 रकबा 15 बिस्वा से बंदोबस्त विभाग ने हाल खसरा नंबर 2074 रकबा 12 एयर एवं खसरा नंबर 2075 रकबा 13 एयर बनाया है। जो कि साविक के मुकाबले 13 एयर अधिक है। एवं प्रदर्श 6 (नक्शा किश्तवार) के अवलोकन से भी यह स्पष्ट नजर आता है कि खसरा नंबर 2073 एवं 2074 के मध्य केवल डॉटेड लाइन से विभाजन किया गया है, जिसे पूर्णतया अलग–अलग नहीं दर्शाया गया है। नक्शा का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि साविक खसरा नंबर 1841 व 1843 पास–पास ही स्थित हैं। उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि बंदोबस्त विभाग ने वादी का रकबा 9 एयर कम दिया है जो उक्त बेशी रकबा खसरा नंबर 2074/0.12 में निहित है, जिसमें से वादी 9 एयर रकबा की पूर्ति करा पाने का पूर्ण अधिकारी है। वादी द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांत 2009 R.B.J. 578,2013(1)RRT 226, 391 एवं 2018(1)RRT 292 प्रकरण पर बखूबी चस्पा हैं कि बंदोबस्त विभाग को किसी भी खातेदार के रकबा को कम या बेशी करने का अधिकार नहीं है।

चूंकि वादी द्वारा खसरा नंबर 2074/0.12 संपूर्ण पर खातेदारी चाही है लेकिन रिकॉर्ड के अवलोकन से न्यायालय इस मत पर पहुंचा है कि वादी केवल 9 एयर रकबा ही दुरूस्त करा पाने का अधिकारी है। संपूर्ण 12 एयर पर वादी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इस प्रकार उपरोक्त तनकियां वादी के हक में तय की जाती हैं।

<u>**तनकी नं. 3 –**</u>''आया मुताबिक मद नंबर 5 दावा विक्रय पत्र तारीख 17.10.1994 एवं 09.06.1995 उप–पंजीयक भरतपुर वहक वादी शून्य घोषित किये जाने योग्य है।'' इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है। तनकी सं0 1 व 2 के निस्तारण में यह स्पष्ट उल्लेख किया जा चुका है कि हाल खसरा नंबर 2074/0.12 में 9 एयर पर वादी दुरुस्ती कराकर खातेदार काश्तकार घोषित किया है। उक्त 9

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

एयर रकबा वादी का ही है। जिसको बंदोबस्त विभाग ने विधि विरुद्ध तरीके से व अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर रामकिशन व प्रतिवादी सं0 4 लगायत 6 के नाम गलत प्रकार से इंद्राज कर दिया है। चूँकि प्रतिवादी सं0 4 लगायत 6 को इस तथ्य की जानकारी थी कि खसरा नंबर 2074/0.12 गलत प्रकार से प्रतिवादीगण के नाम हुआ है लेकिन प्रतिवादीगण ने इन्द्राजों का नाजायज लाभ उठाकर उपरोक्त खसरा नंबर वयनामा दिनांक 17.10.1994 व 09.06.2015 से प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 3 के नाम करा दिया है जो विधि विरुद्ध है क्योंकि प्रतिवादीगण को उपरोक्त आराजी का विक्रय करने का अधिकार नहीं था। इस प्रकार उपरोक्त वयनामे वादी के हितों तक वातिल व बेअसर किये जाने योग्य है। अतः यह तनकी वहक वादी निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 4 –"आया प्रतिवादीगण द्वारा वादी को दिनांक 20.06.2001 एवं 15.07.2002 को धमकी दी है और इसका क्या आशय है।" इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है । वादी द्वारा अपने वादपत्र व शपथ–पत्र में दिनांक 20.06.2001 एवं दिनांक 15.07.2002 को प्रतिवादीगण द्वारा धमकी दिया जाना अंकित कराया है। चूँकि खसरा नंबर 2074/0.12 में से 9 एयर रकबा बंदोबस्त विभाग ने कम करते हुए उपरोक्त खसरा नंबर प्रतिवादी सं0 4 लगायत 6 के नाम कर दिया था और यह कार्य बंदोबस्त विभाग द्वारा गैर–कानूनी रूप से किया है, तनकी सं0 1,2 व 3 के निर्णय में यह स्पष्ट किया जा चुका है। उक्त 9 एयर पर वादी खातेदार काश्तकार रहेगा और बंदोबस्त पूर्व वादी ही खातेदार दर्ज था । इस प्रकारा उपरोक्त गैर कानूनी इंद्राज और वयनामाओं के आधार पर प्रतिवादीगण द्वारा वादी को बेदखल किये जाने की धमकी दिया जाना असंगत प्रमाणित नहीं होता है बल्कि वादी को धमकी दिया जाना पूर्णतः साबित है। अतः यह तनकी भी वहक वादी में तय की जाती है।

तनकी नं. 5 –"मुताबिक मद नंबर 13 जवाब दावा, दावा चलने योग्य नहीं है।" इस तनकी को सिद्ध करने का दायित्व प्रतिवादीगण पर है। तनकी सं0 1 लगायत 4 के निर्णय में न्यायालय के मतानुसार खसरा नं0 2074/0.12 पर प्रतिवादीगण के इंद्राज गलत हैं तथा जो मात्र बंदोबस्त विभाग की गलती से आये हैं और उपरोक्त तनकी सं0 1 लगायत 4 में वादी को 9 एयर पर खातेदार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

काश्तकार घोषित किया गया है। इस प्रकार न्यायालय के मत में खसरा नंबर 2074/0.12 में से 9 एयर पर वादी खातेदार काश्तकार काबिज है। वादी का कब्जा प्रमाणित है। प्रतिवादीगण ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं कर सके हैं कि जिससे प्रतिवादीगण का कब्जा विधिक रूप से प्रमाणित होता हो। केवल हाल रिकॉर्ड में इंद्राज होने से प्रतिवादीगण का कब्जा प्रमाणित नहीं होता है। और हाल रिकॉर्ड में भी 9 एयर रकबा पर प्रतिवादीगण के इंद्राज कलमजन किये जाने योग्य हैं। प्रतिवादीगण द्वारा अपनी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की गई है। मात्र शपथ पत्र ही पेश किये गये हैं। जिरह पर न आने से प्रतिवादीगण की साक्ष्य बंद कर दी गई। इस कारण प्रतिवादीगण की साक्ष्य पढी नहीं जावेगी। जिसके समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2015RBJ-385, 2015(2) DNJ 525 प्रकरण पर पूर्णतः चस्पा हैं। अपने जवाब व शपथ पत्र को व दस्तावेजों को प्रतिवादीगण ने प्रमाणित नहीं किया है। इस प्रकार यह तनकी विरुद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।

<u>तनकी नं. 6 –</u>"आया मुताबिक मद नंबर 14 जवाब दावा, दावा चलने योग्य नहीं है।" इस तनकी को भी साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रकरण कृषि भूमि से संबंधित है और कृषि भूमि से संबंधित विक्रय पत्र के परीक्षण करने का पूर्णाधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त है। न्यायिक दृष्टांत 2001 RRD पेज 415, 1982 RRD पेज 299, 1988 RRD पेज 391, 1978 RRD पेज 624 प्रकरण पर पूर्णतः चस्पा हैं। वयनामा विधिक रूप से निष्पादित नहीं किये हैं। क्योंकि आराजी पर इंद्राज बंदोबस्त विभाग ने गलत प्रकार से किये हैं। जिनका अनुचित लाभ उठाकर विक्रय पत्र निष्पादित कराये गये हैं। जो वहक वादी वातिल व बेअसर हैं। इस प्रकार यह तनकी भी विरुद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।

<u>तनकी नं. 7 –</u>"आया मुताबिक मद नंबर 15 जवाब दावा, दावा चलने योग्य नहीं है।" इस तनकी को भी साबित करने का दायित्व प्रतिवादीगण का है। खसरा नंबर 2074/0.12 में से 9 एयर रकबा पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जा चुका है। चूंकि यह खसरा नंबर वादी के साविक खसरा नंबर 1841 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा से ही निर्मित है। लेकिन बंदोबस्त विभाग ने अवैधानिक रूप से प्रतिवादीगण के नाम कर दिया। जिसका अनुचित लाभ उठाते हुए प्रतिवादीगण ने अन्य प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 का गैर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कानूनी तौर से विक्रय कर दिया। जबकि आराजी पर प्रतिवादीगण का कोई अधिकार नहीं था। इस प्रकार उपरोक्त वयनामे विधि विरुद्ध हैं। वादी ने वादपत्र व शपथ पत्र में दिनांक 20.06.2001 और 15.07.2002 को प्रतिवादीगण द्वारा धमकी दिये जाने से यह तथ्य जानकारी में आना स्पष्ट किया है जिसको वादी ने अपनी मौखिक साक्ष्य से भी साबित किया है और जानकारी के बाद वादी द्वारा दिनांक 25.11.2002 को यह वादपत्र न्यायालय में पेश किया है। प्रतिवादीगण द्वारा इस प्रकार की कोई साक्ष्य न्यायालय में पेश नहीं की है कि दिनांक 20.06.2001 से पूर्व वादी को उपरोक्त वयनामाओं की जानकारी हो गई थी। इस प्रकार यह तनकी विरुद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

8 – दादरसी – उपरोक्त समस्त विवेचन से तनकी सं0 1,2,3,4 का निर्णय वादी के हक में किया गया है तथा तनकी सं0 5,6,7 का निर्णय प्रतिवादीगण के विरुद्ध किया गया है। इस प्रकार न्यायालय के मत में दावा वादी आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि –

दावा वादी आंशिक रूप से इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि खसरा नंबर 2074/0.12 वाके ग्राम जघीना प्रथम तहसील भरतपुर में से 0.09 हैक्टेयर पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वयनामा जो प्रतिवादीगण सं0 4 लगायत 6 के द्वारा प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 3 के हक में उपरोक्त आराजी बावत दिनांक 17.10.1994 व 09.06.1995 को कराये हैं वे वादी के हितों तक वातिल व बेअसर किये जाते हैं तथा प्रतिवादी सं0 1 लगायत 6 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.11.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(संजय गोयल)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर भरतपुर